

Title: Need to allow developmental works in tribal inhabited forests Reserve Land Areas.

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच): फॉरेस्ट रिजर्व लैंड एवं सैवकुअरी लैंड पर आदिवासी लोगों को बुनियादी सेवा उपलब्ध करवाने में जो विकास कार्य होने चाहिए वे फॉरेस्ट रिजर्व एवं सैवकुअरी लैंड संबंधी कानूनों के चलते नहीं हो पा रहे हैं जिसके कारण जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोगों को आजादी के 63 साल के बाद अभी तक बुनियादी सेवाएं नहीं मिल पाई हैं। हालांकि कई कल्याणकारी कार्य अनुसूचित जनजातियों के लिए बनाये गये हैं उनका पालन भी इन फॉरेस्ट रिजर्व लैंड एवं सैवकुअरी लैंड संबंधी कानूनों के तहत नहीं हो पा रहा है। दूसरी केन्द्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा केन्द्र स्तर पर उद्योग चलाने एवं उद्योग स्थापित करने के लिए विशेष अनुमति दी गई है और यही उद्योग वन भूमि को नुकसान पहुंचा रहे हैं जंगलों में प्रदूषण फैला रहे हैं। मेरे गुजरात में कई सीमेंट फैक्ट्रियों को वन भूमि में चलाने के लिए विशेष अनुमति दे रखी है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सेवा प्रदान करने वाले विकास कार्य को विशेष अनुमति दी जाये और जो प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग वन भूमि में केन्द्र सरकार की विशेष अनुमति से कार्यरत है, उनको तत्काल बंद किया जाये।